

उत्तर प्रदेश शासन  
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2  
संख्या - 7/2023/2336153/2023  
लखनऊ दिनांक 16 मई, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल यह घोषणा करती हैं कि मै0 काई वेयर हाउसिंग प्रा0लि0, मोर कोठी, गंगापुर, जिला बरेली के स्वामित्वाधीन प्रस्तावित स्थल ग्राम-गोपालपुर, तालुका नगरिया, नगरिया मोड़, शाहजहांपुर के 09 भाण्डागारों (कुल क्षमता 15914.80 मीट्रिक टन) का नीचे ब्यौरेवार उल्लिखित क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मसाले, लकड़ी, फल-सब्जियों के थोक सौदों हेतु 20 वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के साथ मण्डी उपस्थल के रूप में कार्य करेगा कि कृषक-विक्रेता से कोई मंडी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा और पूर्वोक्त स्थान फुटकर व्यापार हेतु प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।

मंडी उपस्थल की गाटा एवं चौहददी

कृषि उत्पादन मंडी समिति, शाहजहांपुर के मंडी क्षेत्र में स्थित ग्राम-गोपालपुर, तालुका नगरिया, नगरिया मोड़, शाहजहांपुर भूमि गाटा सं0-626, 627, 167/1210 के कुल क्षेत्रफल 4.015 हे0 का 2/5 भाग अर्थात् 1.606 हे0

पूरब	-	खेत खेमा, गयादीन, वेदराम व अन्य।
पश्चिम	-	खेत कलावती व चक मार्ग।
उत्तर	-	खेत वेदराम व अन्य।
दक्षिण	-	खण्डेलवाल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा0लि0 व रिंग रोड।

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी  
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:-7 /2023/2336153/2023, तदिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 16 मई, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुए उक्त गजट की 50 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।
2. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, शाहजहांपुर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, शाहजहांपुर।
6. फर्म मै0 कार्ड वेयर हाउसिंग प्रा0लि0, मोर कोठी, गंगापुर, जनपद बरेली।

आज्ञा से,  
रामप्रीत प्रसाद  
अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

**Uttar Pradesh Shasan  
Krishi Vipran Evam Krishi VideshVyapar Anubhag-2**

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 7 /2023/2336153/2023, Dated: 16 May,2023

**Notification**

No. 7 /2023/ 2336153/2023

Lucknow; Dated: 16 May,2023

In exercise of the powers under Sub-section (1) of section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act No.25 of 1964) read with rule 58-A of Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali 1965, the Governor is pleased to declare Nine Warehouses (Total capacity 15914.80 Metric Tonnes) as area detailed below owned by M/s. Kai Ware Housing Pvt. Ltd., Mor Kothi, Gangapur, District Bareilly, proposed place- Village Gopalpur, Taluka Nagariya, Nagariya Mode, Shahjahanpur shall be function as Market Sub-Yard for wholesale transaction of specified food grains, pulses, oilseeds, spices, wood, fruits-vegetables for a period of twenty years with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, with the condition that no market fee shall be charged from agriculturist-seller and the aforesaid place shall not be used for retail trade.

**Gata and Boundaries of the Market Sub-Yard**

2/5 of the total area 4.015 hectares i.e. 1.606 hectares. of Land Gata No. 626, 627, 167/1210 located in Mandi area of Agricultural Produce Market Committee, Shahjahanpur, Village-Gopalpur, Taluka Nagariya, Nagariya Mode, District Shahjahanpur.

East : Khet Khema, Gayadeen, Vedram and others.

West : Khet Kalavati and Chak Marg.

North : Khet Vedram and others

South : Khandelwal Distributors Pvt. Ltd. and Ring Road.

**By Order,**

**Dr. Devesh Chaturvedi  
Additional Chief Secretary.**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।